पैनधारक द्वारा पैन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एकबारीय कार्य है जिसमें पैनधारक को इस वेबसाइट के जरिए पैन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत करना होता है. विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गयी है:

1. पैनधारक ऑनलाइन सर्विस मेन्यु से पैन रजिस्ट्रेशन विकल्प चुने.
2. समस्त विवरण (पैन, प्रयोक्ता आईडी, पासवर्ड, संपर्क विवरण यदि कोई है, आदि) भरने के बाद पैनधारक 'Submit' पर क्लिक करे.
3. सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद स्क्रीन पर एक प्राप्ति सूचना दिखाई देगी.
4. पैनधारक को इस प्राप्ति सूचना को सेव कर उसका प्रिंट ले लेना चाहिए.

यह पैन रजिस्ट्रेशन अनुरोध टिन-एफसी द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए.

प्राधिकरण का अर्थ वार्षिक कर विवरण देखने के प्रयोजनार्थ पैनधारक की पहचान का सत्यापन है.
टिन - एफसी द्वारा पैन रजिस्ट्रेशन अनुरोध प्राधिकृत करवाने के लिए पैनधारक निम्न में से कोई एक विकल्प चुन सकता है:

1. अपनी पसन्द के टिन - एफसी में व्यक्तिगत रूप से जाए, अथवा

2. वैयक्तिक सत्यापन के लिए पैनधारक से मुलाकात करने के लिए किसी टिन - एफसी का चयन करे.

- इस मामले में पैनधारक टिन - एफसी की सूची में से ऐसे टिन - एफसी का चयन करता है जो संपर्क पते में दिये गये शहर में यह सुविधा प्रदान करता है.

- पैनधारक से मुलाकात करने के लिए टिन - एफसी के चयन की सुविधा सिर्फ उन्हीं स्थानों पर मिल सकती है जहां टिन - एफसी मौजूद हैं.

- इस विकल्प में पैनधारक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिये गये फील्डों में अपना संपर्क विवरण भरने के लिए कहा जाएगा.

रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन से 15 कैलेंडर दिवस के भीतर पैन. अन्यथा रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और पैनधारक को दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.